रा0 स0 14 / एम 11–01 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
ओरीयाना अस्पताल,
बी0 27 / 35 रविन्द्रपुरी,
वाराणसी 05

पटना, दिनाक .

विषय **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय

मुख्यमत्री चिकित्सा राहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **27.08.2025** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राधिका देवी पति– बेद पाल सिह ग्राम - रेहिया पो0– सोवान थाना– कृष्णब्रहम जिला- बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 / –	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 / – (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0–30121380424 एस0 बी0 आई0, पेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक रा0 176983. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम स आपके सस्थान / अस्पताल के खाता स0–**2311774885**, खाता धारक का नाम– Oriana Hospital Private Limited, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–Kotak Mahindra Bank, शाखा का नाम–Shapuri Heights, Block A, Beniram Bagh, Rathyatra Mahmoorganj Road Birdopur Varanasi-221010, RTGS/IFSC कोड स0 KKBK0005291 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **गरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424**, **IFSC Code- SBIN0006379**, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2526(14) पटना, दिनांक 08/9/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 176983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, **सभी संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख